14.11.25 परिवादी नवल कुमार मय अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक उप० अभि० अनु०। उसकी ओर से जरिये अधि० हाजिरी माफी का प्रा०पत्र पेश किया गया, जिसे बाद सुनवाई केवल आज के लिये स्वीकार किया जाता है। प्रा० पत्र शामिल पत्रा० रहे। अधि० अभि० श्री राजकुमार वर्मा ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर एवं न्यायिक प्रक्रिया पर आक्षेप लगाते हुये पेश किया एवं कथन कि उसे एवं अभियुक्त को इस प्रकरण मे आप पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है एवं आपका व्यवहार ~~बहुत~~ पक्षपातपूर्ण है। अभि० आडी ने कथन किया कि वह इस प्रकरण को अन्य न्यायालय मे ट्रांसफर कराने के लिये सक्षम न्यायालय मे प्रार्थना पत्र करेगा। इसलिये प्रा०पत्र पेश करने एवं कार्यवाही मे लगने वाले

तपनसेन

ह० 14.11.25

न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौ. ...बरनाड़ा जिला रा.मा. (राज.)

समय तक इस प्रकरण मे कोई कार्यवाही नहीं करे एवं उसे ट्रांसफर कराने हेतु युक्तियुक्त समय दे दिया जावे। अन्त मे यह भी कथन किया कि आप पीठासीन अधिकारी अपना इगो शान्त करने के लिये जिरह कराना चाहे तो मैं जिरह करने के लिये तैयार हूँ। जिस पर अधिवक्ता परिवादी ने कथन किया कि श्रीमान् जी इनको ट्रांसफर कार्यवाही के लिये समय दे दिया जावे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है तथा ट्रांसफर प्रोसेस के बाद बयान लेखबद्ध करा देंगे, जैसा भी आदेश आयेगा। सुना गया एवं प्रा० पत्र के तथ्यो का अवलोकन किया गया। प्रा० पत्र के तथ्यो से यह प्रकट होता है कि प्रा०पत्र के माध्यम से गंभीर आक्षेप न्यायिक प्रक्रिया एवं पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये है। विधि का यह सिद्धान्त है कि किसी पक्षकार को किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के व्यवहार एवं कार्य प्रणाली से व्यथित है तो सक्षम स्तर कार्यवाही कर सकता है। अधि० अभि० ने प्रकरण ट्रांसफर कराने हेतु जिला न्यायालय सवाई माधोपुर मे प्रा०पत्र पेश करना व्यक्त कर कार्यवाही स्थगित किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रकरण टारगेटेड है परन्तु रोज-रोज अधि० अभि० द्वारा पीठासीन अधिकारी पर नये-2 लांछन लगाये जा रहे है तथा अनुचित दबाव बनाया जा रहा है इसलिये न्यायालय की गरिमा भंग ना हो तथा न्यायिक कार्य सुचारु रूप से क्रियान्वित हो, अभि० अधि० को ट्रांसफर प्रा०पत्र सक्षम स्तर पर पेश करने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आगामी तारीख पेशी पर अधि० अभि० उच्चतर न्यायालय से संबंधित आदेश प्राप्त कर इस न्यायालय में पेश करे। पत्रावली वास्ते पेश होने आदेश। अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25/11/25 को पेश हो। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रा० रहे। गवाह को रुखसत किया गया।

(हस्ताक्षर)
14.11.25

न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौथ का बरवाड़ा जिला स.मा. (रा